फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक – 02/10/2026

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 164/1996 धारा 392 IPC से संबंधित 30 साल से फरार चल रहे मफरूर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.10.2026 को मु0अ0सं0 164/1996 धारा 392 भादवि0 से संबंधित **विगत 30 वर्षो से फरार चल रहे मफरूर अभियुक्त रामवीर पुत्र रामेश्वर** को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रामवीर पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम बहवलपुर, फरीदा पेंढत, थाना ऐका, जनपद फिरोजाबाद।

घटना एवं विधिक प्रक्रिया का विवरण: -

दिनांक 01.09.1996 को वादी मुकदमा मोहम्मद फयाज खाँ पुत्र नियाज खाँ निवासी जहांगीरपुर द्वारा थाना जहानगंज पर अभियुक्तगण द्वारा तमंचा दिखाकर नगद 10,500 रुपये व एक घड़ी लूट लेने के संबंध में तहरीर दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 164/1996 धारा 392 IPC बनाम नाहिद खाँ पुत्र मुईनुद्दीन निवासी ग्राम जहांगीरपुर थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद व अन्य 02 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त रामवीर उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था। नाम प्रकाश में आने के बाद से ही अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने संभावित ठिकानों से फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा इसके मूल निवास व अन्य स्थानों पर निरंतर दबिश दी गई। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने पर माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर सम्मन नोटिस, और गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किए गए । लगातार अनुपस्थिति और गिरफ्तारी से बचने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82 द०प्र०स० (उद्घोषणा) एवं धारा 83 द०प्र०स० की विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। तत्पश्चात, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 04.11.2023 के तहत अभियुक्त को धारा 299 द०प्र०स० के अंतर्गत मफरूर (भगोड़ा) घोषित किया गया। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 05.11.2024 को अभियुक्त रामवीर के विरुद्ध स्थायी गैर-जमानतीय वारंट जारी कर पत्रावली को अभिलेखागार भेजा गया तथा पुलिस को त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए । उक्त आदेश के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामवीर उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में अभियुक्त ने लूट की घटना में शामिल होने तथा पिछले 30 वर्षों से पुलिस और कोर्ट से छिपकर रहने की बात स्वीकार करते हुए शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया ।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 164/1996 धारा 392 IPC थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री घनश्याम सिंह राजपूत,
2. का० हीरेश गौतम,
3. का० विपिन कुमार,
4. का० सूरज पचौरी,

मीडिया सेल, फतेहगढ़ ।